भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3709
(दिनांक 18.12.2024 को उत्तर देने के लिए)

हानिकारक ऑनलाइन/डिजिटल सामग्री की निगरानी

3709. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंगः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) फर्जी समाचार और दुष्प्रचार सहित हानिकारक ऑनलाइन/डिजिटल सामग्री की निगरानी करने की क्या व्यवस्था है;

(ख) क्या ऐसे कई ऑनलाइन चैनल अर्थात यूट्यूब चैनल हैं जो अपने दुष्प्रचार को समाचार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सोशल मीडिया चैनलों की जांच करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जा रही है/का अनुसरण किया जा रहा है जो फर्जी समाचार या विकृत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं; और

(घ) क्या ऐसे चैनलों या व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत करने की कोई व्यवस्था है जो किसी संस्था या व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हुए विकृत या पक्षपातपूर्ण जानकारी समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं?

उत्तर
सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (घ): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के भाग-III में डिजिटल

मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है। डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता के अनुसार ऐसे प्रकाशकों को भारतीय प्रेस परिषद के 'पत्रकारिता के आचरण के मानक' केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के अंतर्गत कार्यक्रम संहिता का पालन करना अपेक्षित है।

जहां तक यूट्यूब, फेसबुक आदि जैसे मध्यस्थ प्लेटफार्मों पर सामग्री का संबंध है, आईटी नियम, 2021 का भाग-II, ऐसे प्लेटफार्मों पर स्वयं उचित प्रयास करने और उनके कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को जानबूझकर और साभिप्राय ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित आदि नहीं करने का दायित्व डालता है जो अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से झूठी और असत्य हो और किसी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को वित्तीय लाभ के लिए गुमराह करने या परेशान करने या किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाने के इरादे से किसी भी रूप में लिखी और प्रकाशित की गई हो।

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों पर नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करने का दायित्व भी डालता है। इसके अतिरिक्त, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना भी आवश्यक है।

*****